रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11082026-275369
SG-DL-E-11082026-275369

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2026/श्रावण 15, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 156
No. 226]	DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2026/SHRAVAN 15, 1948	[N. C. T. D. No. 156

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग(प्रशासन शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 6 अगस्त, 2026

फा. सं. 4(122)/प्रशा0/टीपीटी/2022/34046.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 27/59 एचआईएम(i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में जारी दिनांक 14 नवंबर 2005 की अधिसूचना संख्या फा0 6(20)/ 2004/ प्रशा0/टीपीटी/7324 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली संबंधित बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में 'स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड, ग्रेड–II, ग्रेड–I तथा विशेष ग्रेड) के पद हेतु निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं; अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–** (1) इन नियमों को परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 'स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड, ग्रेड–II, ग्रेड–I तथा विशेष ग्रेड) भर्ती नियमावली, 2026 कहा जाए।

   (2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यता इत्यादि** :– भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :–वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :– जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :– इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) के पद हेतु भर्ती नियम

1.	**प्दनाम**	:	**स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)**
2.	**पदों की संख्या**	:	5* (2026) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–2 (19900–63200/– रुपये)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	गैर चयन पद
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18–25* वर्षों के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) **टीप 1** :– आयु–सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। *यदि पद को अखिल भारतीय प्रतियोगिता द्वारा भरा जा रहा है, तो आयु सीमा 18–27 वर्ष के बीच होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	**अनिवार्य:** (i) मोटर कार हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो; (ii) मोटर तंत्र की जानकारी (उम्मीदवार को वाहन में मामूली खराबी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए) जिसके लिए परिवहन विभाग द्वारा गठित बोर्ड द्वारा कौशल परीक्षण आयोजित किया जाएगा, जिसमें कम–से–कम 02 राजपत्रित अधिकारी शामिल होंगे। (iii) मोटर कार चलाने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। (iv) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण हो।

			वांछनीयः– होम गार्ड/नागरिक स्वयंसेवकों के रूप में 3 वर्षो की सेवा। **टीप 1** : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यता (योग्यताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं। **टीप 2** : यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी**	:	नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	दो वर्ष सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए
10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती होनो हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाना है**	:	**पदोन्नति** :– कार्यालय जहां रिक्ति है, में हल्के मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस रखने वाले तथा ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–1 (18000–56900/–रुपये) के समूह 'ग' कर्मचारियों में से, जो परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, द्वारा आयोजित किए जाने वाले कौशल परीक्षण को उत्तीर्ण करने के अधीन हैं **टीप** :– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्तें कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है**	:	**समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति/स्थायीकरण के विचारार्थ)** 1. प्रधान सचिव/सचिव (प्रशा0सु0) – **अध्यक्ष** 2. संबंधित विभागाध्यक्ष – **सदस्य** 3. उप–सचिव (सा0प्र0वि0)– **सदस्य** **टीप** :– यदि विभागीय पदोन्नति समिति / विभागीय स्थायीकरण समिति अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति / विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है**	:	लागू नहीं

स्टाफ कार चालक (ग्रेड–II) के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	:	**स्टाफ कार चालक (ग्रेड–II)**
2.	पदों की संख्या	:	05*(2026) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह–'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–4 (25500–81100/–रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	:	**पदोन्नति :–** ग्रेड में 09 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–2 (19900–63200/–रुपये) में स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) तथा परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्दिष्ट ट्रेड परीक्षण उत्तीर्ण हो। **टीप** :– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्तें कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है	:	**समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ)** 1. प्रधान सचिव/सचिव (प्रशा0सु0) – **अध्यक्ष** 2. संबंधित विभागाध्यक्ष – **सदस्य** 3. उप–सचिव (सा0प्र0वि0)– **सदस्य** **टीप** :– यदि विभागीय पदोन्नति समिति / विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति / विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियॉ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है	:	लागू नहीं

स्टाफ कार चालक (ग्रेड–I) के पद हेतु भर्ती नियम

1.	प्दनाम	:	**स्टाफ कार चालक (ग्रेड–I)**
2.	पदों की संख्या	:	05*(2026) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह–'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–5 (29200–92300/– रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	गैर चयन पद
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाना है	:	**पदोन्नति :–** ग्रेड में 06 वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–4 (25500–81100/–रुपये) में स्टाफ कार चालक (ग्रेड–II) अथवा स्टाफ कार चालक ग्रेड–II तथा सामान्य ग्रेड में 15 वर्षों की संयुक्त सेवा सहित तथा परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्दिष्ट ट्रेड परीक्षण उत्तीर्ण हो। **टीप** :– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्तें कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है	:	**समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ)** 1. प्रधान सचिव/सचिव (प्रशा0सु0) – **अध्यक्ष** 2. संबंधित विभागाध्यक्ष – **सदस्य** 3. उप–सचिव (सा0प्र0वि0)– **सदस्य** **टीप** :– यदि विभागीय पदोन्नति समिति / विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति / विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियॉ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है	:	लागू नहीं

स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड) के पद हेतु भर्ती नियमावली

1.	प्दनाम	:	**स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड)**
2.	**पदों की संख्या**	:	01' (2026) ' परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केंद्रीय सेवा , अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह ''ख''
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–6, (35400–112400/–रुपये)

5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	गैर चयन पद
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यता**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	2 वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है**	:	**पदोन्नति :** ग्रेड में 3 वर्षो की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–5 (29200–92300 रुपये) में स्टाफ कार चालक (ग्रेड –1) में से । **मानक टीप** :– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो,तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसको संरचना क्या है।**	:	**विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति** 1. प्रधान सचिव/सचिव (टी0टी0ई0), – अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष–सदस्य 3. विशेष/अपर सचिव (स्वा0 एवं परि0 क0) –सदस्य **टीप** :– यदि विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	**वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
डॉ0 आशुतोष कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त आयुक्त (प्रशा0)

TRANSPORT DEPARTMENT (ADMINISTRATION BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 6th August, 2026

F. No. 4(122)/Admn/TPT/2022/34046.— In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution of India and read with the Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. F.27/59 Him(i) dated 13th July, 1959 and in supersession of the notification no. F.6(20)/2004/Admn/TPT/7324 dated 14th November, 2005 issued in this regard, except as respects things

done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make following recruitment rules for the post of Staff Car Driver (Ordinary Grade, Grade-II, Grade-I and Special Grade) in Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short title and commencement- (1) These rules may be called the Transport Department, Govt. of National Capital Territory of Delhi, Staff Car Driver (Ordinary Grade, Grade-II, Grade-I and Special Grade), Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Posts, Classification and level in the pay matrix- The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

4. Disqualification- No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Powers to relax- Where the government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Serviceman and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

(i) Staff Car Driver (Ordinary Grade)

1	Name of the Post	Staff Car Driver (Ordinary Grade)
2	Number of post	5* (2026) *Subject to variation dependent on work-load
3	Classification	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-ministerial
4	Pay Level in the Pay Matrix	Level-2 (Rs. 19900-63200/-) in the Pay Matrix
5	Whether Selection post or Non-Selection post	Non-Selection
6	Age limit for direct recruits	18-25 Years* (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note 1:-**The crucial date determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/ Competent Authority. * In case of post being filled up by all-India Open Competition, it would be between 18 years and 27 years.

7	Educational and other qualifications required for direct recruits	**Essential:** (i) Possession of a Valid Driving License for Motor Cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicle) for which a skill test shall be conducted by the Board, constituted by the Transport Department which comprises of at least 02 Gazetted Officers; (iii) Experience of driving a Motor Car for at least 3 years; and (iv) Pass in 10^{th} standard. **Desirable:** 3 Years' Service as Home Guard/Civil Volunteers. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	No
9	Period of probation, if any	Two years for direct recruits
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	By promotion failing which by Direct Recruitment
11	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	**Promotion:** From amongst Group C employees in the Pay Level-1 (Rs. 18000-56900/-) of the Pay Matrix with 03 years of regular service in the Grade & having License of Light Motor Vehicle in the office in which the vacancy arises subject to passing a skill test conducted by Transport Department, GNCTD **Note:** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be

		considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.
12	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Group 'C' DPC (for considering promotion/confirmation) 1. Principal Secretary/Secretary (AR)- **Chairperson** 2. Head of the Department Concerned- **Member** 3. Dy. Secretary (GAD)- **Member** **Note:** Senior most member of the Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.
13	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(ii) Staff Car Drivers (Grade-II)

1	Name of the Post	Staff Car Driver (Grade-II)
2	Number of post	5* (2026) *Subject to variation dependent on Work load
3	Classification	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Non-Ministerial
4	Pay Level in the Pay Matrix	Level-4 (Rs. 25500-81100/-) in the pay Matrix
5	Whether Selection post or Non-Selection post	Non-Selection
6	Age limit for direct recruits	Not applicable
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Not applicable
9	Period of probation, if any	Not applicable
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	By promotion

11	In case of recruitment/deputation/absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	**Promotion:** Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Pay Level-2 (Rs. 19900-63200/-) of the Pay Matrix with 09 years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Transport Department, GNCTD. **Note:** Where junior who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have of successfully completed probation period for Promotion to the next higher grade along with their Juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.
12	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Group ‘C’ DPC (for considering promotion): 1. Principal Secretary/Secretary (AR) **- Chairperson** 2. Head of the Department Concerned **- Member** 3. Dy. Secretary (GAD) **- Member** **Note:** Senior most member of the Departmental Promotion Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Promotion Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.
13	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

(iii) Staff Car Drivers (Grade-I)

1	Name of the Post	Staff Car Driver (Grade-I)
2	Number of post	5* (2026) *Subject to variation dependent on Work load
3	Classification	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Non-Ministerial
4	Pay Level in the pay .Matrix	Level-5 (Rs. 29200-92300/-) in the pay matrix
5	Whether Selection post or Non-Selection post	Non-Selection
6	Age limit for direct recruits	Not applicable

7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not applicable
9	Period of probation, if any	Not applicable
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	By promotion
11	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	**Promotion:** Staff Car Driver (Grade-II) in the Pay Level-4 (Rs. 25500-81100/-) of the Pay Matrix with 06 years of regular service in the grade or with a combined service of 15 years in Staff Car Driver Grade-II and Ordinary Grade and have passed the trade test, specified by the Transport Department, GNCTD. **Note:** Where Junior who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have of successfully completed probation period for Promotion to the next higher grade along with their Juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.
12	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Group 'C' DPC (for considering promotion): 1. Principal Secretary/Secretary (AR) **- Chairperson** 2. Head of the Department Concerned **- Member** 3. Dy. Secretary (GAD) **- Member** **Note:** Senior most member of the Departmental Promotion Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Promotion Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.
13	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Not Applicable

(iv) Staff Car Driver (Special Grade)

1	Name of the Post	Staff Car Driver (Special Grade)
2	Number of post	01* (2026) *Subject to variation dependent on workload
3	Classification	General Central Service Non Ministerial, Non-Gazetted, Group B
4	Pay Level in the Pay Matrix	Level-6 (Rs.35400-112400/-) of the Pay Matrix
5	Whether Selection post or Non-Selection post	Non-Selection Post
6	Age limit for direct recruits	Not applicable
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not applicable
9	Period of probation, if any	2 Years
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	By promotion – 100%
11	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	**Promotion:** Staff Car Drivers (Grade-I) in the Pay Level-5 (Rs. 29200-92300/-) of the Pay Matrix with 03 years of regular service in the grade. **Standard Note:** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or 02 years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.
12	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	**Departmental Promotion Committee / Departmental Confirmation Committee** 1. Principal Secretary/Secretary (TTE) **- Chairperson** 2. Head of the Department Concerned **- Member** 3. Special/Addl. Secretary(Health and Family Welfare) **- Member** **Note:** Senior most member of the Departmental Promotion

		Committee/Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee/ Departmental Confirmation Committee.
13	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

By Order and in the Name of Lt. Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

Dr. ASHUTOSH KUMAR SRIVASTAVA, Jt. Commissioner (Admn.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.08.11 16:32:55 +05'30'